

प्रेषक,

डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,  
राज्य योजना आयोग,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: ०२ दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र सं०-1594/तीन-1(11) रा०यो०आ/2017-18, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आय-व्ययक वर्ष 2017-18 अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखाशीर्षक-3451-00-092-03 के अन्तर्गत मानक मद में संलग्न बी०एम०-09 (भाग-101) के अनुसार बचत को व्यावर्तित करते हुए मद संख्या-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय मद में ₹100 हजार (₹ एक लाख मात्र) मद संख्या-18-प्रकाशन में "हिमालय दिवस 2017" एवं उत्तराखण्ड में जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण हेतु दिशा निर्देश पुस्तिका की पुस्तकों का प्रकाशन हेतु ₹50 हजार (₹पचास हजार मात्र) मद संख्या-19-विज्ञापन ब्रिकी और विख्यापन मद में ₹100 हजार (₹ एक लाख रुपये) मद संख्या-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धित मद में ₹150 हजार (₹ एक लाख पचास हजार मात्र) मद संख्या-12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में ₹70 हजार (₹ सत्तर हजार रुपये मात्र) अर्थात् कुल धनराशि ₹ 470 हजार (₹ चार लाख सत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त आवश्यकता के दृष्टिगत धनराशि के आहरण एवं व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी०एम०-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 092-अन्य कार्यालय-00-मतदेय-03 नियोजन अधिष्ठान मानक मद के नामें डाला जायेगा।
6. ऑनलाईन बजट आवंटन/पुनर्विनियोग प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय सं०-187 मतदेय/XXVII(5)/2017-18, दिनांक 14.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि


भवदीय,

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)  
अपर सचिव।

संख्या: ७३ (१)/XXVI/एक(५)/२०१६ तददिनांकित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड देहरादून।
- २- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- ३- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- ४- वित्त अनुभाग-५ उत्तराखण्ड शासन।
- ५- स्न०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ६- गार्ड फाईल

आज्ञा से,



(गोविन्द सिंह बिष्ट)  
उप सचिव।

अनुदान संख्या - 007

पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 321/one(5)2016

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिरीक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)
	3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें 00 092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान 00 नियोजन अधिष्ठान (Voted)		
1	08 - कार्यालय व्यय 300000	74806	125194
2	13 - टेलीफोन पर व्यय 150000	37184	42816
3	27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 300000	57448	92552
4	42 - अन्य व्यय 150000	0	0
	योग		

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133, 134 में

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 2

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

सेवा में,

महालेखाकार,  
उत्तराखण्ड,  
ओबराय बिल्डिंग।

संख्या: (1)/XXVI/एक(5)/2016

प्रतिलिपि निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवक

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी,
- 2- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन
- 3- गार्ड फाईल

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - N0- 321 /ek(5)/2016

अलोटमेंट आई डी - S1711070238

अनुदान संख्या - 007

आवंटन पत्र दिनांक - 30-Nov-2017

HOD Name - Director State Planning Commission (2940)

1: लेखा शीर्षक 3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें 00 -  
 092 - अन्य कार्यालय 03 - नियोजन अधिष्ठान  
 00 - नियोजन अधिष्ठान

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	24941000	0	24941000
02 - मजदूरी	10000	0	10000
03 - महंगाई भत्ता	1496000	0	1496000
04 - यात्रा व्यय	200000	0	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20000	0	20000
06 - अन्य भत्ते	1746000	0	1746000
07 - मानदेय	600000	0	600000
08 - कार्यालय व्यय	300000	(100000)	200000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60000	0	60000
13 - टेलीफोन पर व्यय	150000	(70000)	80000
15 - गाड़ियों का अन्तरक्षण और पेट	600000	0	600000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	750000	0	750000
18 - प्रकाशन	50000	0	50000
19 - विज्ञापन, विक्री और विख्यापन	150000	0	150000
22 - आतिथ्य व्यय, विषयक भत्ता आ	70000	0	70000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	150000	0	150000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300000	(150000)	150000
42 - अन्य व्यय	150000	(150000)	0
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर, हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अन्तरक्षण/तत्सम्बन्धी	200000	0	200000
51 - महंगाई वेतन	100000	0	100000
	<b>39043000</b>	<b>(470000)</b>	<b>38573000</b>

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

(470000)